epaper
हिन्दुस्तान

फैसला: एलडीए सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक, वित्तीय इंडस्ट्री भी खड़ी की जाएगी

प्रबंधनगर योजना: एलडीए आईटी हब विकसित करेगा

26/02/2022

बदलाव

लखनऊ। प्रमुख संवाददाता

एलडीए की प्रबंधनगर योजना की 50 प्रतिशत जमीन आवासीय होगी। इस पर प्लाट व मकान बनेंगे। करीब 10 प्रतिशत भूमि ही व्यावसायिक होगी। एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। आर्किटेक्ट कम्पनी को 15 मार्च तक डीपीआर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

बता दें कि इसे आईटी हब सिटी के साथ वित्तीय इंडस्ट्री के रूप में भी विकसित किया जाएगा। एलडीए लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अब 50 प्रतिशत भूमि का इस्तेमाल मकान व प्लाट बनाने में करेगा। प्रबंधनगर से ही शुरुआत हो रही है। पूर्व में कुछ योजनाओं में एलडीए ने 40 प्रतिशत आवासीय जमीन आरक्षित की थी।

बुधवार को एलडीए सचिव, मुख्य नगर नियोजक, आर्किटेक्ट कम्पनी व अन्य अधिकारियों की बैठक में फैसला लिया गया। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि योजना में अधिक से अधिक आवासीय प्लाट व मकान बनाए जा सके। एलडीए सचिव ने मुख्य नगर नियोजक नितिन मित्तल को संबंधित गांवों की सैटेलाइट इमेजरी एवं सजरा प्लान आर्किटेक्ट को उपलब्ध कराने को कहा है। प्राधिकरण योजना में पहली बार पार्किंग की जगह आरक्षित करेगा। 15 प्रतिशत जमीन आरक्षित होगी। वहीं15 प्रतिशत जमीन पर पार्क व क्रीडा स्थल तथा जलाशय बनेंगे।

50 प्रतिशत जमीन पर प्लाट और मकान बनाएगा एलडीए

30 प्रतिशत जमीन पार्क और पार्किंग के लिए आरक्षित की जाएगी

15 मार्च तक डीपीआर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए

सम्पत्तियों की गणना

लखनऊ। एलडीए ने भूखण्डों की रजिस्ट्री व कास्टिंग में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब प्राधिकरण की सभी योजनाओं के सहायकों को भवन भूखण्ड की कीमत की अंतिम गणना करने से पहले तमाम चीजों की जांच कर नोट शीट तैयार करनी होगी। इसके बाद ही सम्पत्ति की गणना होगी। इससे फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा।

एलडीए में सम्पत्तियों के फर्जीवाड़े में कई बार प्राधिकरण के कर्मचारी और अधिकारी लिप्त पाए जा चुके हैं। कई मामलों में प्राधिकरण में पैसा तक नहीं जमा किया गया है। कुछ में थोड़ी बहुत रकम जमा हुई है और रजिस्ट्री कर दी गयी है। इस पर अंकुश के लिए प्राधिकरण ने कास्टिंग में तमाम नए प्रावधान किए हैं। प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक दीपक सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी किया है। इसके तहत अब कास्टिंग के लिए फाइल आने से पहले कर्मचारियों व योजना सहायकों को तमाम औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। उन्हें पूरी फाइल की स्थिति पर खुद ही एक पेज की रिपोर्ट तैयार करनी होगी।

10 प्रतिशत व्यावसायिक व 10 प्रतिशत औद्योगिक होगी

योजना की करीब 20 प्रतिशत जमीन व्यावसायिक व औद्योगिक होगी। इसमें से 10 प्रतिशत प्रदूषण रहित उद्योगों, संस्थागत तथा मनोरंजन के लिए आरक्षित की गयी है। जबकि 10 प्रतिशत जमीन व्यावसायिक होगी। इस जमीन पर बाजार विकसित होंगे।